न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 16/2024

प्रार्थी

पोसीदेवी पत्नी स्वर्गीय गीनाराम जी, जाति–भील, निवासी–मण्डवारिया, तहसील व जिला–सिरोही (राज.)

अप्रार्थीगण **बनाम**

1. पवनीदेवी पत्नी वीनाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी- मण्ड़वारिया, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह, अप्रार्थी संख्या 01 (एक) पवनीदेवी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 24 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी पवनीदेवी पत्नी श्री वीनाराम मेघवाल, निवासी– मण्ड़वारिया के पक्ष में क्षेत्रफल 1568 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत बुक संख्या 610 से जारी पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 25–5–2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पवनीदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पवनीदेवी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 18–2–2026 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया अप्रार्थी पवनीदेवी पत्नी श्री वीनाराम मेघवाल, निवासी– मण्ड़वारिया के नाम से जो पट्टा जारी किया गया है उसका नाप उत्तर की ओर 32 फीट, दक्षिण की ओर 32 फीट, पूर्व की ओर 49 फीट व पश्चिम की ओर 49 फीट कुल क्षेत्रफल 1568 वर्गफीट है एवं चतुदर्शी उत्तर दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में पानी निकासी गली, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में धरमीदेवी पत्नी गोकलाराम का मकान है। उक्त आवासीय भूखण्ड का अप्रार्थी पवनीदेवी को नियम 157(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा जारी किया हुआ है, जबकि अप्रार्थी पवनीदेवी, उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने की कानूनी रूप से अधिकारिणी नहीं है क्योकि इसके पति वीनाराम पुत्र मगाजी मेघवाल के नाम से पूर्व में ही ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है। अप्रार्थी पवनीदेवी को जिस कॉलोनी में पट्टा जारी किया हुआ है, उस कॉलोनी में सभी प्लोट 45 X 30 फीट के है परन्तु ग्राम पंचायत, मण्डवारिया का सरपंच जो कि अप्रार्थी पवनीदेवी का रिश्तेदार लगता है, उसने नियम विरूद्ध जाकर मौके पर स्थित भूखण्ड

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

से अधिक 32 X 49 फीट कुल क्षेत्रफल 1568 वर्गफीट का अप्रार्थी पवनीदेवी को नियम विरूद्ध जाकर पट्टा जारी किया है, जबकि नक्शे में उक्त कॉलोनी के सभी प्लोट 45 X 30 फीट कुल 1350 वर्गफीट के है। ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया के तत्कालीन सरपंच ने मेलमिलाप कर कानुन का उल्लंघन करते हुए अप्रार्थी पवनीदेवी के हक में नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया किया है। अप्रार्थी पवनीदेवी कानुनन नियम 157(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अडौस पडौस को सुनवाई का अवसर दिये बिना व नियमों को ताक में रखकर नियम विरूद्ध जाकर मौका स्थिति के विपरित जाकर मौके की स्थिति का सही अवलोकन नहीं कर मौके पर काटे गये भूखण्डों के कुल नाप से अधिक नाप का पट्टा जारी कर भारी कानुनी व वाक्यती भूल की है तथा अप्रार्थी पवनीदेवी द्वारा उक्त पट्टे की पात्रता नहीं रखते हुए भी नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थी पवनीदेवी द्वारा प्रार्थीया के भूखण्ड़ में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके संबंध में प्रार्थीया पोसीदेवी ने सिविल न्यायालय, सिरोही में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत किया है जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही द्वारा दीवानी विविध संख्या 14/2022 में पारित आदेश दिनांक 23–01–2024 के द्वारा प्रार्थीया पोसीदेवी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानीकार आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी पवनीदेवी पत्नी श्री वीनाराम मेघवाल, निवासी– मण्ड़वारिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 1568 वर्गफीट भूमि का बुक संख्या 610 से जारी पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 25–5–2023 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पवनीदेवी के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह ने बहस के दौरान, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पवनीदेवी के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी पवनीदेवी पत्नी श्री वीनाराम मेघवाल, निवासी– मण्डवारिया के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी हुआ है, उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत कच्चे मकान के नियमितिकरण का जारी किया गया है क्योंकि अप्रार्थी पवनीदेवी के परिवार के सदस्यों के नाम से किसी प्रकार का कोई पट्टा जारी किया हुआ नही है और न ही अप्रार्थी पवनीदेवी के पति वीनाराम पुत्र मगाजी जाति–मेघवाल के नाम से कोई पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त कॉलोनी में उक्त विवादित पट्टा 32 X 49 कुल क्षेत्रफल 1568 वर्गफीट का नियम विरूद्ध विरुद्ध पट्टा जारी करने का कथन गलत है, जबकि हकीकत यह है कि उक्त आवंटितशुदा कच्चे मकान का पट्टा उक्त कॉलोनी में अन्तिम छोर पर होने से व मौके पर जमीन होने से ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा मौका निरीक्षण कर नियमानुसार पट्टा जारी किया हुआ है, जो वैद्य है। अप्रार्थी पवनीदेवी का मकान गली के कोर्नर पर आया हुआ है और प्रार्थीया के मकान की पूठ में अप्रार्थी पवनीदेवी का उक्त पट्टा शुदा मकान आया हुआ है जिस पर नियमानुसार चार दिवारी निकलवाने हेतु व कच्चा मकान को गिरा कर नया मकान बनाने की अनुमति हेतु पंचायत में आवेदन किया था और मौके पर उक्त पट्टेशुदा भूमि में अप्रार्थी पवनीदेवी के कमरा व चारो तरफ चारदिवारी निकाली हुयी है। जिसके मौके के फोटोग्राफस्, पटटे की व पंचायत के रसीद की प्रति जबाव के साथ पेश की है। पडौसी धर्मीदेवी पत्नी गोकलारामजी का मकान का पट्टा भी क्षेत्रफल 32 X 49 फीट का जारी किया हुआ है, जो मौके पर यथावत रूप से खाली पडा हुआ है। अप्रार्थी पवनीदेवी के पडौसी धर्मीदेवी पत्नी गोकलाराम जी के साथ में पूठ की गली में प्रार्थीया द्वारा जबरन कब्जा किये जाने पर विवाद होने के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कारण अप्रार्थी पवनीदेवी के पति ने धर्मदेवी पत्नी गोकलारामजी के पक्ष में बयान दिये थे, इस रंजिश से अप्रार्थी पवनीदेवी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से झूठी कार्यवाही व शिकायतें करती रहती है तथा सिविल न्यायालय में भी प्रार्थीया ने झूठे व मनगंढत तथ्यों के आधार पर सिविल वाद प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी पवनीदेवी पत्नी श्री वीनाराम मेघवाल, निवासी– मण्ड़वारिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 1568 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 16 दिनांक 25–5–2023 को जारी किया गया है, जिसके बुक संख्या 610 है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत, ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होगे। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी पवनी देवी के पति वीनाराम पुत्र मगाजी मेघवाल के नाम से पूर्व में ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा पट्टा जारी किया हुआ हो व अप्रार्थी पवनी देवी या उसके परिवार के सदस्य के पास प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड़ के अलावा पूर्व से ही कोई अन्य आवासीय भूखण्ड़ उपलब्ध हो। प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी पवनी देवी को जिस कॉलोनी में उक्त भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया गया है उस कॉलोनी के सभी भूखण्डों के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा 30x45 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट के जारी किये हुये हो एवं उक्त कॉलोनी में ही अप्रार्थी पवनी देवी को पट्टा जारी किया हो। प्रार्थी पक्ष ने जिस नक्शें की छाया प्रति प्रस्तुत की है उसमें भूखण्ड़ का नाप व क्षेत्रफल अंकित नही है। जबकि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी पवनी देवी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत उक्त पट्टेशुदा आबादी भूमि पर अप्रार्थी पवनी देवी का वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे–गृह के निर्माण के तौर पर कब्जा होने से कब्जे के कच्चे मकान का विनियमितिकरण कर प्रारुप 23ख में परिवार की महिला मुखिया पवनी देवी पत्नी वीनाराम मेघवाल के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी पवनी देवी की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् की छाया प्रतियों के अवलोकन के अनुसार उक्त प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि पर कमरे का निर्माण किया हुआ प्रतीत हो रहा है व नीवं लेवल तक चार दिवारी निर्मित की हुई है। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रही है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया के रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी पवनी देवी के आवेदन पत्र पर मिसल संख्या 30/2022–23 दिनांक 21–6–2022 को दायर करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों व विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करते हुए व पंचायत बैठक में प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20–9–2022 को पारित करके अप्रार्थी पवनी देवी पत्नी वीनाराम

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मेघवाल, निवासी– मण्ड़वारिया के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 25–5–2023 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)